

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	चन्द्र कान्ता शर्मा, एलएचवी	जोधपुर	04.07.58	31.07.18
2	कमला देवी स्वामी, एलएचवी (kamla devi swami)	जयपुर-द्वितीय	01.09.58	31.08.18
3	संतोष कुमारी, एलएचवी	जयपुर-द्वितीय	20.07.58	31.07.18
4	शिव कुमारी माहोर, एलएचवी	डूंगरपुर	02.10.58	31.10.18
5	सुश्री क्लोराम्मा कुरविला, एलएचवी	टोंक	20.10.58	31.10.18
6	सुश्री सारम्मा थोमस, एलएचवी	नागौर	14.12.58	31.12.18
7	सुश्री मुन्नी शर्मा, एलएचवी	राजसमन्द	15.10.58	31.10.18
8	सुश्री गायत्री देवी खत्री, एलएचवी	झालावाड	01.10.59	30.09.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

Sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20/से0नि0/2018/ 940

दिनांक:-10-7-18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी तत्काल वसूली कर निदेशालय को अवगत करावे:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, जयपुर/कोटा/जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/जयपुर-द्वितीय/डूंगरपुर/टोंक/नागौर/राजसमन्द/झालावाड।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलाडा(जोधपुर) /सांगानेर(जयपुर)/सागवाडा(डूंगरपुर)/टोंक/राजसमन्द/झालरापाटन(झालावाड)/डीडवाना(नागौर)।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाक(जोधपुर), पासरोटिया(टोंक), धनकोली(डीडवाना)।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर